राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के वर्ष 2016–17 के बजट के मुख्य अंश

- ❖ पारदर्शी, ईमानदार और प्रभावकारी शासन की वजह से पिछले वर्ष की तुलना में, वित्तीय वर्ष 2015–16 में कुल राजस्व प्राप्ति में 17 प्रतिशत की अभूतपूर्व वृद्धि हुई है।

- ❖ दिल्ली के वितरक स्वरूप को बनाये रखने के लिए, कर नीति निर्धारण में उचित ध्यान रखा गया है।

- ❖ कुल कर राजस्व में, मूल्य सवंर्धित कर का लगभग 65 प्रतिशत योगदान है।

- ❖ कुछ आइटमों की अलग–अलग स्थानों पर कई प्रविष्टियों के कारण अस्पष्टता तथा भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है जिससे व्यापारियों को परेशानी होती है। कर व्यवस्था के सरलीकरण के लिए ऐसी प्रविष्टियों को एक ही प्रविष्टि में समाहित करने का प्रयास किया गया है।

- ❖ व्यापारिक समुदाय की बेहतर भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए स्वेच्छा से कर अनुपालन को अत्यधिक बढ़ावा दिया गया है।

- ❖ बैटरी चालित परिवहन साधन अर्थात् ई–रिक्शा, बैटरी वाले वाहन तथा हाइब्रिड ऑटोमोबाइल पर मूल्य सवंर्धित कर की दर को 12.50 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करना प्रस्तावित है।

- ❖ मिठाई और नमकीनों पर मूल्य सवंर्धित कर की दर को 12.5 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करना प्रस्तावित है।

- ❖ 5000/–रुपये से अधिक मूल्य के रेडीमेट गारमेंटस पर मूल्य सवंर्धित कर की दर को 12.5प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करना प्रस्तावित है।

- ❖ मार्बल पर मूल्य सवंर्धित कर की दर को 12.5 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करना प्रस्तावित है।

- ❖ 5000/–रुपये मूल्य से अधिक की घड़ियों पर मूल्य सवंर्धित कर की दर को 20 प्रतिशत से घटाकर 12.5 प्रतिशत करना प्रस्तावित है।

- ❖ टैक्सटाइल एवं फैबिकस् पर कर को युक्तिसंगत बनाने के उद्देश्य से सभी प्रकार के टैक्सटाइलस् तथा फैबिकस् (जिसमें साड़ियां शामिल नहीं है) पर 5प्रतिशत की दर से एक समान कर लगाना प्रस्तावित है।

- ❖ प्लास्टिक वेस्ट पर 5 प्रतिशत की दर से कर लगाना प्रस्तावित है।

- ❖ यूपीएस यूनिटस् पर मूल्य सवंर्धित कर को 12.5 प्रतिशत तक बढ़ाना प्रस्तावित है।

- ❖ वर्तमान में 500/–रुपये मूल्य से अधिक के जूते तथा 300/–रुपये मूल्य से अधिक के स्कूल बैग पर 12.5 प्रतिशत की दर से कर लगता है। कितना भी मूल्य होते हुए सभी प्रकार के जूतों तथा स्कूल बैगस् पर 5प्रतिशत की दर से मूल्य सवंधिर्त कर लगाना प्रस्तावित है।

- ❖ ''बिल बनवाओं ईनाम पाओं'' योजना को लाकर जनता की प्रभावकारी भागीदारी सुनिश्चित की गई है।

- ❖ ''मार्केट एसोसिएशनों'' के लिए भी ईनाम की योजना शुरू की गई है।

- ❖ आबकारी विभाग में इंस्पेक्टर राज को समाप्त होने तथा आबकारी शुल्क का बिन्दु ट्रांसपोर्ट परमिट लेवल से आयात परमिट लेवल पर स्थानान्तरित करने की वजह से आबकारी राजस्व वसूली में 31 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है।

- ❖ विलासिता कर से राजस्व वसूली में 36.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जबकि मनोरंजन कर से राजस्व वसूली में 60 प्रतिशत वृद्धि हुई है। विलासिता कर की सीमारेखा मौजूदा 750/–रुपये से बढ़ाकर 1500/–रुपये प्रतिदिन प्रति कमरा करना प्रस्तावित है।

- ❖ विलासिता कर के मामले में स्व–घोषणा पद्धति प्रस्तावित है।

- ❖ पंजीकरण अधिनियम की धारा 17 में संशोधन प्रस्तावित है ताकि कई नए दस्तावेज़ों के लिए पंजीकरण अनिवार्य किया जा सके।

- ❖ हमारी सरकार पंजीकृत दस्तावेज के लिए जल्द ही ऑनलाइन सर्च की सुविधा शुरू करने का प्रस्ताव करती है, जिससे 1985 के बाद से सभी धरोहर आंकड़ों को स्केन, डिजिटिकृत किया जाएगा और आम लोगों को आसानी से सर्च के लिए उपलब्ध कराया जाएगा।